

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

निविदा सूचना
(SECOND CALL)

समस्त अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा वर्ष 2022–23 के लिये आवश्यकतानुसार मैप्लीथो पेपर मैप्लीथो पेपर (Size 51 x 75 cm = 80 GSM) क्रय किया जाना है, जिसके लिये निर्धारित शर्तों के अधीन मोहरबंद निविदायें दिनांक 22–03–2022 को अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा शर्त एवं वाछिंत सामग्री की विस्तृत जानकारी उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

महि/—
रजिस्ट्रार जनरल

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

क. रजि.(प्रशा) / Q/790 R-(A)

दिनांक 08/03/2022 जानवरी 2022.

निविदा फार्म

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर हेतु
मेस्लीथो पेपर की आपूर्ति

निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथि 22-03-2022 अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि 22-03-2022 अपराह्न 3.00 बजे तक

डिमाण्ड ड्राफ्ट क. दिनांक राशि रुपये 500/-

(निविदा दस्तावेज की लागत)

निविदा—कर्ता की सील एवं हस्ताक्षर

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर

नियम एवं शर्तें

वर्ष 2022–23 हेतु मेप्लीथो पेपर (Size 51 x 75 cm = 80 GSM) क्रय किये जाने हेतु सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो इस कार्यालय में दिनांक 22–03–2022 को सांय 3.00 बजे तक पहुँच जावे।

1. निविदा की अनुमानित लागत लगभग रूपये 25,00,000/- होगी
2. निविदा हेतु निविदा दस्तावेज हमारी वेबसाईट www.mphc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
3. निविदाकर्ता को अपनी निविदा के साथ रूपये 500/- का डिमान्ड ड्राफ्ट जो कि रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पक्ष में देय होगा, निविदा दस्तावेज की लागत के रूप में संलग्न करना होगा। यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं होगी।
4. सील बंद निविदाये रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से दिनांक 22–03–2022 को अपरांह 3.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा प्रस्तुत निविदा मान्य नहीं की जावेगी। एवं निविदायें उसी दिन शाम 4.00 बजे खोली जावेगी।
5. लिफाफे पर स्पष्ट रूप से मेप्लीथो पेपर प्रदाय हेतु निविदा लिखा होना चाहिये तथा निविदाकार द्वारा जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किये

जा रहे हैं उसे निविदा के साथ सूची बनाकर कमानुसार स्पष्ट करते हुये संलग्न करें।

6. यदि निविदा प्रस्तुति की अंतिम तिथी अथवा निविदा खुलने की तिथी को अवकाश घोषित होता है तो यह निविदा अगले कार्यदिवस पर खोली जावेगी।
7. आदेशानुसार मेप्लीथो पेपर उच्च न्यायालय कक्ष तक पहुँचाने का समस्त उत्तर दायित्व निविदाकार का होगा तथा अनुमोदित निविदाकार यह सुनिश्चित करें कि मैप्लीथो पेपर की पेकिंग उचित रूप से हो।
8. निविदा में मैप्लीथो पेपर किस कम्पनी द्वारा निर्मित है सामग्री का साईज नाप, तौल आदि जो निविदा में दिया गया है, अंकित करना अनिवार्य है, एवं नमूना संलग्न कर नमूना सामग्री पर निविदाकर्ता की/फर्म की सील होना अनिवार्य है।
9. निविदाकार उनके द्वारा दी गई मैप्लीथो पेपर आवश्यकतानुसार स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथी तक बाध्य होगा।
10. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय किया जाने वाला मैप्लीथो पेपर अनुमोदित अनुसार ना होने की दशा में उक्त पेपर को निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा अनुमोदन अनुसार उक्त पेपर निर्धारित अवधि में प्रदाय करना होगा।
11. मैप्लीथो पेपर को प्रदाय करने का आदेश प्राप्त होने के सात दिवस के अन्दर उक्त पेपर प्रदाय करना होगा।
12. निविदा की दरों की वैधता अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2022—23 अथवा अनुमोदित दिनांक से 01 वर्ष के लिये मान्य होगी।

13. निविदाकार, वाणिज्यकर विभाग से पंजीयन होने का जीवित प्रमाण—पत्र की छाया प्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म ने आयकर अदा किया है, उस पर कोई कर बकाया नहीं है, स्पष्ट करें।
14. निविदाकारों को अग्रिम सुरक्षा निधि के रूप में 50,000/- की ई0एम0डी0 जो कि 06 माह के लिये वैध होगी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावे।
15. निविदा प्रक्रिया के बाद असफल बोलीदारों की ई0एम0डी0 बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जावेगी।
16. सफल निविदाकर्ता द्वारा परफार्मेंस बैंक गारंटी 10 प्रतिशत निविदा मूल्य का जो कि 01 वर्ष अवधि के लिये देय रहेगी जमा करनी होगी। सुरक्षा निधि (ई0एम0डी0) बैंक गारंटी अथवा एफ0डी0आर0 के रूप में स्वीकार होगी।
17. किसी भी शर्त के भंग होने पर रजिस्ट्रार जनरल को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी। तथा नियम एवं शर्तों पर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
18. मेप्लीथो पेपर की दरें समस्त करों, शुल्क, भाड़ा व आकस्मिक प्रभार सहित दी जावे।
19. शासन द्वारा जी0एस0टी0 अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।
20. शशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
21. निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रकिंत होना चाहिये।
22. निविदाकर्ता द्वारा यह उल्लेख करना आवश्यक है कि वह या तो अधिकृत विक्रेता है या निर्माता है।

23. सभी निविदाकर्ता को निविदा दस्तावेज के साथ प्रदाय की जाने वाली सामग्री का नमूना संलग्न कर निविदा प्रेषित करना होगा। निविदा के साथ नमूना संलग्न न होने की दशा में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
24. एनएसआईसी और एमएसएमई (निविदा शुल्क में छूट का दावा करने के लिये विक्रेता को एनएसआईसी और एमएसएमई दोनों के साथ पंजीकृत होना चाहिये) के तहत पंजीकृत फर्मों को केवल निविदा शुल्क जमा करने से छूट दी गई है। लेकिन उन्हें निविदा—आवश्यकता के अनुसार वैध ईएमडी जमा करनी होगी।
25. यदि सफल निविदाकर्ता निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तों को पूर्ण करने में असफल रहता है ऐसी अवस्था में निविदाकर्ता की जमा राशि जप्त कर निविदा की मंजूरी रद्द की जावेगी तत्पश्चात अगले सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार किया जावेगा।
26. निविदाकर्ता को निविदा के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की कमानुसार सूची निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
27. रजिस्ट्रार जनरल को यह अधिकार होगा कि, वे बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदाओं को अस्वीकार करने के लिये सशक्त होंगे।
28. माध्यरथम :— इस संविदा के किसी भी नियमों या शर्तों और/या उनके कार्यान्वयन अथवा निर्वचन के संबंध में किसी विवाद या मतभेतद उत्पन्न होने की दशा में, उसे आरंभतः आपसी चर्चा एवं सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा किन्तु उसमें असफल होने की स्थिति में, इसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल

अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ म0 प्र0 उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों पर बंधनकारी होगा। माध्यस्थम जबलपुर में होगा तथा मध्यस्थ अपना अधिनिर्णय “माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996” के अनुसार होगा।

29. अप्रत्याशित घटना – (1) कोई भी पक्षकार दूसरे पक्ष के प्रति किसी ऐसी घटना के कारण उसके दायित्व के निर्वहन में किसी देरी या चूक के लिये जिम्मेदार नहीं होगा जिसे सामान्यतः अप्रत्याशित घटना (Force Majeure) के रूप में जाना जाता है जो कि किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे है तथा उसमें आग, बाढ़, विरफोट, दैविय या किसी सरकारी निकाय के कृत्य, लोक अव्यवस्था, दंगे व्यापार-प्रतिरोध, हड्डताल, सैन्य प्राधिकरण के कृत्य, महामारी, हड्डताल, तालाबंदी, या अन्य श्रमिक विवाद, विद्रोह नागरिक उपद्रव, युद्ध, दुश्मन की कार्यवाही सम्मिलित है किंतु यह उन तक सीमित नहीं है।

(2) यदि कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो बोली लगाने वाला, रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को लिखित में उसकी स्थिति व कारण सूचित करेगा। जब तक अन्यथा रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित ना किया जाये बोलीदाता, जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, अनुबंध के अधीन अपने दायित्वों का पालन जारी रखेगा, एवं निर्वहन के लिये उन सभी वैकल्पिक साधनों की तलाश करेगा जो कि अप्रत्याशित घटना द्वारा रोके गए हों। बोलीदाता को उसके दायित्वों के निर्वहन से तब तक

आंशिक अथवा पूर्ण छूट दी जाएगी जब तक कि ऐसे कारण, परिस्थितियों अथवा घटनाएं ऐसे निर्वहन को रोकना अथवा उसमें विलंब करना जारी रखती है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

प्रपत्र — अ

PRICE DETAILS

| S.No. | NAME OF THE ARTICLES | BRAND NAME | BASIC VALUE | TAXES/GST | TOTAL | REMARKS (If any) |
|-------|---|------------|--------------------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Maplitho Paper (Size 51 x 75 cm = 80 GSM) | | | | | |
| | | | Total Price Rs. | | | |

Signature & Seal of the Bidder